कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 03/2018 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री सोहन लाल पुत्र श्री लालूराम निवासी गांव नहराना तहसील नाथूसरी चोपटा जिला सिरसा हरियाणा।

——अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ।

——प्रत्यार्थी

आदेश   दिनांकः—20.02.2018

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ के विरूद्ध प्राप्त हुई।

अपीलार्थी उपस्थित नही। अपीलार्थी के अपील में अंकित तथ्यो के अनुसार जिला खाद्य एवं अपूर्ति अधिकारी हनुमानगढ द्वारा वांछित जानकारी निर्धारित समय सीमा का अवसान हो जाने के उपरान्त भी उपलब्ध नही करवाये जाने पर अपीलार्थी द्वारा यह अपील की गई हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ से अपील में कोई जवाब प्राप्त नही हुआ है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देश दिये जाते है कि वे अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र 27.11.2017 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उसके द्वारा चाही गई सूचना अपीलार्थी को नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official